भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का न्यायालय, घाटशिला।

नामान्तरण अपील वाद संख्या–15 / 2019–2020

श्रीमती स्वेता सोनी, पति –राकेश सोनी .... अपीलकर्त्ता

–बनाम–

झारखण्ड सरकार (अंचल अधिकारी, घाटशिला) .... विपक्षी

क्र.	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
	अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अंचल अधिकारी, घाटशिला के नामान्तरण वाद सं. 137 / 2019–20 द्वारा "कायम जमाबन्दी के विरूद्ध वरीय न्यायालय (भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, घाटशिला) के न्यायालय में अपीलवाद दायर किया गया है, जो विचाराधीन है" का कारण बताकर इसे अस्वीकृत किया गया है। नामान्तरण के संबंध में निर्णय लेने हेतु यह ठोस कारण नहीं है। साथ ही इस न्यायालय में संधारित अभिलेख पंजी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि से संबंधित अपीलवाद दायर नहीं किया गया है। इस संबंध में प्राप्त आवेदन संलग्न है, जो कि जाँच हेतु आपको पत्रांक 441 / रा॰ दिनांक 23 / 10 / 2019 को दिया गया, परन्तु इस संबंध में किसी भी प्रकार का जवाब अप्राप्त है। स्वेता सोनी, पति श्री राकेश सोनी, क्वाटर नं॰–A-73-A-B, Moubhandar से प्राप्त आवेदन के आधार पर नामान्तरण वाद संख्या 677 / R27/19-20 के Mutation Apeal Case No. 15/19-20 के संबंध में निर्णय लिया जाना संभव नहीं है। अतः प्रश्नगत भूमि पर दखल एवं उपलब्ध कराए गये राजस्व कागजातों की सत्यता के आधार पर पुनः विचार करते हुए नामान्तरण वाद के संबंध में यथोचित निर्णय हेतु अभिलेख अंचल अधिकारी, घाटशिला को वापस भेजें। 15/07/2020 भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, घाटशिला।	